

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2853  
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।  
15 श्रावण, 1947 (शक)

**आधार कार्डों के बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्याएँ**

**2853. श्री ए. राजा:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लाभार्थियों के आधार कार्डों के बायोमेट्रिक सत्यापन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बायोमेट्रिक सत्यापन में मंजूरी नहीं मिलने के कारण विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलने की सीमा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई समीक्षा की गई है क्योंकि कई आम लोग, विशेषकर महिलाएँ और वरिष्ठ नागरिक, धुंधले उंगलियों के निशान और सत्यापन उपकरण के पुराने संस्करण आदि के कारण सत्यापन पूरा नहीं होने से प्रभावित होते हैं; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (घ):** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) स्थानिकों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार जारी करता है।

आधार, विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए संबंधित संगठनों द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। अब तक, लगभग 142 करोड़ आधार संख्याएँ जारी की जा चुकी हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा 13,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण किए जा चुके हैं।

आधार अधिनियम प्रत्येक संगठन को यह अधिकार देता है कि वह आधार धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करे, तथा आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या इसमें असमर्थ होने पर उसे कोई सेवा देने से इनकार न करे।

यूआईडीएआई के पास फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संस्थागत तंत्र है, जिसके लिए प्रायः बायोमेट्रिक लॉक, वृद्धावस्था के कारण फिंगरप्रिंट के घिस जाने, या शारीरिक श्रम-प्रधान व्यवसायों जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

इन मुद्दों के समाधान और आसान पहचान सत्यापन की सुविधा के लिए, यूआईडीएआई प्रमाणीकरण के कई तरीके प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण
- वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण
- चेहरे, फिंगरप्रिंट और आईरिस का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
- क्यूआर कोड स्कैनिंग (ऑफ़लाइन सत्यापन)

यूआईडीएआई प्रमाणीकरण के इन तरीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रायः निम्नलिखित पहल करता है:

- ऑपरेटरों का प्रशिक्षण
- घिसे हुए फिंगरप्रिंट वाले स्थानिकों के लिए चेहरे और आईरिस प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना
- परिनियोजित उपकरणों और सॉफ्टवेयर का नियमित अद्यतन करना
- संगठनों से फिंगरप्रिंट मिलान की सटीकता बढ़ाने का अनुरोध करके सर्वोत्तम फिंगर डिटेक्शन को प्रोत्साहित करना

इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई निम्नलिखित के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं और मीडिया अभियान आयोजित करता है:

- प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीकों की उपलब्धता और उपयोग
- आधार धारकों द्वारा आवधिक बायोमेट्रिक अद्यतन का महत्व

यूआईडीएआई का चेहरा प्रमाणीकरण विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए लाभदायक है, जिन्हें प्रायः फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

\*\*\*\*\*